रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3091] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941
No. 3091] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3386(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2215(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2009 और का.आ. 2286(अ), दिनांक 21 जुलाई , 2017 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार गुवाहटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई, असम, गुवाहटी के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे असम राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3386(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 2215(E), dated the 1st September, 2009 and S.O. 2286(E), dated the 21st July, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief

Justice of the Gauhati High Court, hereby designates the Court of Special Judge, CBI, Assam, Guwahati as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Assam.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3387(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2146(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 6397(अ), दिनांक 31 दिसम्बर , 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार गुवाहटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे नागालैण्ड राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3387(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 2146(E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 6397(E), dated the 31st December, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Gauhati High Court, hereby designates the Court of District and Sessions Judge, Dimapur as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Nagaland.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3388(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2147(अ), दिनांक 1 सितम्बर,2010 और का.आ. 2180(अ), दिनांक 30 मई , 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार गुवाहटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईजोल के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे मिज़ोरम राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3388(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 2147(E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 2180(E), dated the 30th May, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Gauhati High Court, hereby designates the Court of District and Sessions Judge, Aizawl as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Mizoram.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3389(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2150(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 3444(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार गुवाहटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे अरूणाचल प्रदेश राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3389(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 2150(E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 3444(E), dated the 11th November, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Gauhati High Court, hereby designates the Court of District and Sessions Judge, Yupia as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Arunachal Pradesh.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3390(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2556(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2016 और का.आ. 1662(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा II अपर जिला न्यायाधीश-सह-मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे आंध्रप्रदेश राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3390(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 2556(E) dated 27th July, 2016 and S.O. 1662(E) dated the 29th April, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Andhra Pradesh, hereby designates the Court of II Additional District Judge-cum-Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Andhra Pradesh.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3391(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 787(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2011, का.आ. 3537(अ), दिनांक 20 जुलाई, 2018 और का.आ. 5394(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. न. 1, जयपुर के सम्बन्धी न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राजस्थान राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3391(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 787(E) dated 26th April, 2011, S.O. 3537(E) dated the 20th July, 2018 and S.O. 5394(E) dated the 25th October, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Rajasthan High Court, hereby designates the Court of Special Judge, CBI No. 1, Jaipur as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Rajasthan.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.20 15:01:59 +05'30'